भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1992

17 मार्च, 2023 के लिए प्रश्न

खाद्यान्न भण्डारण की स्थिति

1992. श्री कार्तिकेय शर्मा:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश के अधिकांश राज्यों में खाद्यान्नों के भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान इस अंतर को पाटने के लिए कौन-कौन से कार्यक्रम शुरू किए गए हैं;

(ग) क्या विगत पांच वर्षों में खाद्यान्नों की भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई है;

(घ) क्या सरकार ने खाद्यान्नों की भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत कार्य किया है; और

(ड.) यदि हां, तो इससे इस क्षेत्र में क्या सुधार हुए हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) और (ख) : जी नहीं। भारतीय खाद्य निगम में भंडारण क्षमता खरीद के स्तर, बफर मानदंडों की आवश्यकता और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के प्रचालनों पर निर्भर करती है। पिछले 3 वर्षों में उच्चतम स्टॉक स्तरों के आधार पर खरीद वाले राज्यों में और खपत वाले राज्यों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं (ओडब्ल्यूएस) की 4 माह (पूर्वोत्तर राज्यों और कुछ अन्य राज्यों जैसे जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप के मामले में 6 माह) की आवश्यकता के आधार पर भंडारण अंतर का आकलन किया जाता है।

दिनांक 01.03.2023 की स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय पूल खाद्यान्न भंडारण के लिए भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों के पास उपलब्ध कवर्ड भंडारण क्षमता 714.82 लाख टन है जबकि भंडारित स्टॉक 321.23 लाख टन है।

भारतीय खाद्य निगम भंडारण क्षमता का लगातार आकलन और निगरानी करता है तथा भंडारण अंतर (स्टोरेज गैप) आकलन के आधार पर, भंडारण क्षमताएं सृजित/किराए पर ली जाती हैं:-

1. सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी मोड) के तहत साइलोज़ का निर्माण।
2. निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) योजना।
3. केंद्र क्षेत्र योजना (सीएसएस)।
4. केन्द्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी)/राज्य भंडारण निगम (एसडब्ल्यूसी)/राज्य एजेंसियों से गोदाम किराए पर लेना।
5. निजी भंडारण योजना (पीडब्ल्यूएस) के जरिए गोदाम किराए पर लेना।

.....2/-

(ग) : जी हां। पिछले पांच वर्षों के दौरान, भारतीय खाद्य निगम की कवर्ड भंडारण क्षमता में वृद्धि का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(आंकड़े लाख टन में)

योजना	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (दिनांक 01.02.23 तक)	कुल
पीईजी	1.40	1.47	0.55	0.48	1.48	5.38
सीएसएस	0.35	0.02	0	0.20	0.08	0.65
साइलो	0.75	0.50	1.00	3.0	1.50	6.75
कुल	2.5	1.99	1.55	3.68	3.06	12.78

(घ) और (ड.) : जी हां। फिलहाल, भारतीय खाद्य निगम द्वारा निम्नलिखित योजनाओं के तहत पीपीपी मॉडल के माध्यम से अपनी भंडारण क्षमता में वृद्धि की गई है:-

1. पीपीपी मोड के तहत साइलोज़ का निर्माण
2. निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) योजना

साइलोज़:

भंडारण सुविधाओं को अपग्रेड और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने देश में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी मोड) के तहत स्टील साइलोज़ का निर्माण करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की है। अब तक, 12.75 लाख टन की क्षमता का निर्माण कर लिया गया है। इसके अलावा, वर्ष 2007 में सर्किट आधारित मॉडल के तहत 5.5 लाख टन क्षमता सृजित की गई है। इसके अतिरिक्त, भारतीय खाद्य निगम ने पीपीपी में हब और स्पोक मॉडल के अंतर्गत 34.87 लाख टन भंडारण क्षमता का निर्माण कार्य सौंप दिया है।

पीईजी:

पीईजी योजना के अंतर्गत, निजी निवेश को आकर्षित करके 22 राज्यों में पारंपरिक गोदामों का निर्माण प्रारंभ किया गया है। पीईजी योजना को वर्ष 2008 में प्रारंभ किया गया था और यह अपने अंतिम चरण में है। दिनांक 01.03.2023 की स्थिति के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत 146.14 लाख टन की कुल भंडारण क्षमता का निर्माण कर लिया गया है।
